"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75] रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 मार्च 2016— फाल्गुन 12, शक 1937

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 मार्च, 2016 (फाल्गुन 12, 1937)

क्रमांक-1904/विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2016 (क्रमांक 2 सन् 2016) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 2 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2016

वित्तीय वर्ष 2015-2016 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए राज्य की संचित निधि में से 31,79,84,29,058 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2016 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए तीन हजार एक सौ उन्यासी करोड़ चौरासी लाख उन्तीस हजार अंठावन रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
..	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	0	6,39,51,00,000	6,39,51,00,000
03	पुलिस	राजस्व	200	0	200
		पूंजी	200	0	200
05	जेल	राजस्व	1,40,30,000	0	1,40,30,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,00,000	0	5,00,000
10	वन	राजस्व	32,00,00,000	14,17,000	32,14,17,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	200	0	200

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,63,93,00,000	0	4,63,93,00,000
		पूंजी	24,80,00,100	0	24,80,00,100
17	सहकारिता	राजस्व	40,00,00,100	0	40,00,00,100
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	0	65,00,000	65,00,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	100	0	100
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	5,00,00,000	0	5,00,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	40,00,00,000	0	40,00,00,000
36	परिवहन	राजस्व	100	0	100
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	17,94,000	0	17,94,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	3,81,04,56,000	0	3,81,04,56,000
		पूंजी	51,40,00,000	0	51,40,00,000
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग.	राजस्व	17,36,000	0	17,36,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	100	0	100
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	13,50,00,00,000	0	13,50,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	1,21,01,44,000	0	1,21,01,44,000
		पूंजी	17,54,50,958	0	17,54,50,958
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	2,00,00,000	0	2,00,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	0	7,00,00,000	7,00,00,000
	योग -	राजस्व	23,96,79,60,800	7,14,17,000	24,03,93,77,800
		पूंजी	1,35,74,51,258	6,40,16,00,000	7,75,90,51,258
	वृहद योग -		25,32,54,12,058	6,47,30,17,000	31,79,84,29,058

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 1 मार्च, 2016

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.